

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के अंतर्गत बीएचईएल से सूचना मांगने की प्रक्रिया

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति

- 1.1 बीएचईएल में विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं, जो अपने क्षेत्र से संबंधित सूचना मांगे जाने के अनुरोध को प्राप्त करेंगे।
- 1.2 कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना या रिकॉर्ड के लिए, जैसा भी मामला हो, **प्रपत्र-क** (Form-A) या **प्रपत्र-ख** (Form-B) में सम्बद्ध केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (के.ज.सू.अ.) को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ये प्रपत्र केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों से मुफ्त प्राप्त किए जा सकते हैं या बी. एच. इ. एल. वेब साइट से आवेदक द्वारा प्रिन्ट लिया जा सकता है या आवेदक नमूना प्रपत्र की तरह से पत्र लिख सकता है।
- 1.3 आवेदक अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रकट करने से मुक्त की गई सूचनाओं के लिए आवेदन नहीं करेगा।
- 1.4 आवेदक यह घोषणा करेगा कि मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है या नहीं ।
- 1.5. आवेदक मांगी गई सूचना को स्वयं प्राप्त करेगा या सम्बद्ध केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी यह सूचना आवेदक को उसके पते पर ई-मेल/डाक/कोरियर द्वारा भेजेगा।
- 1.6 जो आवेदन पत्र केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को नहीं भेजे जायेंगे अथवा जिनमें मांगी गई सूचना के बारे में सही विवरण नहीं दिया जायेगा, उस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया जायेगा।

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न होने पर या उत्तर न मिलन पर कार्रवाई

2.1 आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय के अंदर सम्बद्ध केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से उत्तर प्राप्त न होने पर या निर्धारित समय के अंदर प्राप्त उत्तर से व्यथित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, समीक्षा के लिए बीएचईएल के अंदर अपील प्राधिकरण को अपील कर सकता है। अपील प्राधिकरण को अपील अग्रेषित करने हेतु प्रपत्र-ग (Form-C) का प्रयोग किया जा सकता है। अपील के अंतर्गत अनुमित मिलने पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को अपील प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अविध के अंदर सूचना देगा।


निर्धारित समय

3.1 बीएचईएल, अधिनियम में किए गए अनुबंध के अनुसार, आवेदन प्राप्ति की तिथि से नीचे दिए गए समय के अंदर आवेदक को उत्तर भेजने का प्रयत्न करेगा:

	विवरण	अवधि के अंदर
3.1.1	———— सूचना के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन	30 दिन (*)
3.1.2	सहायक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन .	35 दिन
3.1.3	तीसरे पक्ष से सम्बद्ध सूचना वाला आवेदन	40 दिन
3.1.4	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के आदेश पर तीसरे पक्ष द्वारा अपील	30 दिन
3.1.5	अपील प्राधिकरण द्वारा अपील पर निर्णय तथा उत्तर	30 दिन
	(*): 48 घन्टे. जहां आवेदन किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्व	तंत्रता से सम्बद्ध हो

4. लागू शूल्क और भूगतान

- 4.1 सूचना मांगने या रिकॉर्ड के लिए आवेदक को प्रत्येक आवेदन के साथ 10 रु. का आवेदन शुल्क देना होगा।
- 4.2 सूचना उपलब्ध कराने हेतु शुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाएगा:
 - क) तैयार या कॉपी किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार में) के लिए रु. 2/-;
 - ख) बड़े आकार के कागज पर प्रत्येक प्रति का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य.;
 - ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; तथा
 - घ) रिकॉर्ड देखना: प्रथम घन्टे के लिए कोई शुल्क नहीं, बाद के प्रत्येक घन्टे या उसके हिस्से के लिए रु. 5/- का शुल्क; उसके पश्चात
 - ड.) सूचना वाली प्रत्येक डिस्केट या फ्लॉपी के लिए रु. 50/-
 - च) छपे हुए रूप में सूचना: प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य या प्रकाशन से सार की फोटोकॉपी रू. 2/- प्रतिपृष्ठ
- 4.3 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त कोई भी पत्र, जिसके साथ निर्धारित शुल्क नहीं होगा या जिसमें दी गई सूचना अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से संबंधित नहीं होगी, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- 4.4 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने पर आवेदक को आवेदन की प्रॉसेसिंग हेतु मांगा गया अतिरिक्त शुल्क जमा कराना होगा। इस प्रकार के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की प्राप्ति में कोई भी देरी सूचना सुपुर्दगी को प्रभावित करेगी। आवेदक से अतिरिक्त भुगतान देर से प्राप्त होने के कारण हुए विलम्ब के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा।
- 4.5 यूनिट/क्षेत्र/कॉर्पोरेट कार्यालय में आवेदक द्वारा नकद भुगतान लेखा अधिकारी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को कार्यालय समय में किए जाएंगे तथा ऐसे भुगतान के लिए रसीद दी जायेगी।
- 4.6 डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक द्वारा भुगतान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पक्ष में किए जाएंगे।
- 4.7 आवेदन केवल नकद भूगतान की रसीद या डिमांड डाफ्ट या बैंकर्स चैक के साथ ही स्वीकार किया जाएगा ।
- 4.8 आवेदक डाक/कोरियर द्वारा भेजे गए आवेदन के साथ कोई नकद राशि नत्थी नहीं करेगा । यह इस अधिनियम तथा डाक नियमों के विरुद्ध है ।
- 4.9 आवेदक आवश्यकता से अधिक धन का भुगतान नहीं करेगा । आवेदक, उत्तर मिलने के 30 दिनों के अंदर अपने अधिक धन की वापसी का दावा सम्बद्ध कार्यालय को दे सकता है । अधिक किया गया भुगतान अन्य किसी भी आवेदन के लिए स्वीकार नहीं होगा ।
- 4.10 यदि आवश्यक हुआ, तो केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी सूचना या रिकॉर्ड के लिए, जैसा भी मामला हो, आवेदक द्वारा जमा कराए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित करेगा । यह अतिरिवत शुल्क आवेदक द्वारा, जैसा लागू हो, सूचना देने/ प्रलेखों को देखने से पूर्व शीघ्रता से जमा कराया जाएगा ।
- 4.11 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा । तथापि, उसे आवेदन पत्र के साथ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए जारी राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी । ऐसे राशन कार्ड पर उसका नाम, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए लागू लाभग्राही के रूप में होना चाहिए । उसे यह राशन कार्ड सम्बद्ध केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा मांगे जाने पर मूल रूप में दिखाना होगा ।





Procedure for seeking information from BHEL under the

Right to Information Act' 2005 (hereinafter 'Act').

1. Appointment of the Central Public Information Officers:

- 1.1 The Central Public Information Officers (CPIO) have been designated at various locations in BHEL to receive the request for seeking information as far as applicable to their area of responsibility.
- 1.2 Any Indian citizen who is seeking information or inspection of records, under provisions of this Act, can file an application in Form-A or Form-B, as the case may be, to the concerned CPIO. These forms are available, free of cost or the requester can take print of the same from the BHEL web site www.bhel.com, by himself, or write the letter in the same format.
- 1.3 Requester shall not make a request for information or inspection of records which are exempted from disclosure under sections 8 and 9 of the Act.
- 1.4 Requester shall mention in application whether the information sought for concerns the life or liberty of a person.
- 1.5 The Reply shall be either collected by requester himself or shall be forwarded to requester either through post or courier, at the address given in the application form.
- 1.6 Request which are not addressed to CPIO or not specifying the exact information required shall not be responded.

2. Recourse in case requester is not satisfied with response or lack of it from CPIO

2.1 In case the requester fails to get a response from the CPIO within stipulated time of the submission of application or is aggrieved by the response received within the prescribed period, he may file an appeal to the appellate authority within BHEL, for the review in Form-C. In case appeal is allowed, the information shall be supplied to the applicant by the CPIO within such period as ordered by the appellate authority.

3. Time schedule

3.1 CPIO will send the response to requester with in period as given below, from date of receipt of the request:

	Processing of:	Within a period
3.1.1	Request received by CPIO for information:	30 calendar days (*)
3.1.2	Request received by Assistant CPIO:	35 calendar days
3.1.3	Request where 3rd party information is involved:	40 calendar days
3.1.4	Appeal by 3rd party, against order of CPIO:	30 calendar days
3.15	Decision of appellate authority on appeal of requester	30 calendar days
(*): 48 hours where the request concerns life or liberty of a person		person

4. Applicable fee and payments:

- 4.1 Each application for seeking information/ inspection of records shall be accompanied by an application fee of Rs 10/-;
- 4.2 Fee for providing information/documents/inspection of record will be as follows:
 - a) Rs 2/- for each page (in A-4 or A-3 size), created or copied;
 - b) Actual charge or cost price of a copy in larger size paper;
 - c) Actual cost or price for samples or models; and
 - d) Inspection of records: No fee for first hour; A fee of Rs 5/- for each subsequent hour or fraction thereof, thereafter:
 - e) Rs 50/- per diskette or floppy containing information;
 - f) Information in printed form: price fixed for publication or Rs 2/- per page of photocopy for extracts from the publication.
- 4.3 Request shall be accepted only when it is related to CPIO under the Act and is accompanied by the requisite fee.

- 4.4 Requester, upon getting notice from CPIO, shall deposit the additional fee requested in connection with the processing of the request. The CPIO shall not be responsible for delays occurred on account of the late receipt of additional payments from the requester.
- 4.5 Cash payments shall be made to the Accounts Officer, Bharat Heavy Electricals Limited, at Unit/region/Corporate Office, as the case may be, against proper receipt, during normal working hours, personally by the requester or his representative.
- 4.6 In case the mode of payment is through Demand Draft or Banker's Cheque, the same shall be issued in favour of Bharat Heavy Electricals Limited.
- 4.7 Application along with the money receipt towards cash payment or the Demand Draft or Banker's cheque shall be accepted by CPIO.
- 4.8 Requester shall not enclose any currency note(s) along with the application, delivered through post/courier. It is against provisions of the Act and also the rules governing postal services.
- 4.9 Requester shall not deposit fee in excess of what is prescribed. Any extra money deposited with the public authority could be claimed by the requester latest within 30 days from date of furnishing of reply by CPIO. In any case, such extra amount shall not be considered against any other request for information.
- 4.10 In case required, CPIO shall inform the requester about additional fee to be deposited by him towards furnishing of information or inspection of records. Such additional fee shall be deposited by the requester, as applicable, promptly, prior to release of information/inspection of documents.
- 4.11 Requester who is below poverty line need not pay any fee. He will have to, however, show the ration card applicable to person below poverty line and submit a copy of same along with application. Such ration card must carry his name as recipient of benefits applicable to persons below poverty line.

----- X -----



प्रपत्र-क (Form-A)

सूचना मांगने हेतु आवेदन /Application for seeking information (सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत) / (under section 6 (1) of the Right to Information Act' 2005)

\ \ <i>\</i> _	.	तिथि/Date:	
तेवा में/ ⁻	IO, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ Central Pub भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड/Bharat He 		
ाहोदय, Dear S			
l.	मैं भारतीय नागरिक हूं । कृपया मुझे नीचे दिए ग I am citizen of India. Please furnis	ाए मेरे पते पर निम्नलिखित सूचना दें: sh the following information to me at my address: 	
2.	मेरी जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त वांछित सूचना अधिनियम की धारा 8 एवं 9, जिन्हें प्रकट नहीं करना है, से संबद्ध नहीं है । To best of my knowledge, the above desired information does not relate to		
3.	section 8 & 9 of the Act, which are exempted from disclosure. क्या मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है ? [है / नहीं है] (कृपया किसी एक को टिक करें) Whether the Information sought concerns the life and liberty of a person? [Yes/No]		
l. l.1	(Please tick any one) अदा किए गए शुल्क का विवरण /Details of the fee paid: माध्यम: नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक Mode: Cash/DD/Bankers cheque		
1.2	संदर्भ: डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या Ref: DD/BC No. रसीद की सं./	तिथि date	
1.4	Receipt No. राशि, रु./ Amount, Rs	दिनांक/ Date (आवेदक के हस्ताक्षर)	
		(Signature of applicant) नाम/Name: पता/Address:	
		 ई-मेल/E-mail:	



प्रपत्र-ख (Form-B)

रिकॉर्ड देखने के लिए आवेदन / Application for inspection of records (सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अधीन) (under Section 6 (1) of the Right to Information Act' 2005)

सेवा में/1	तिथि/Date:कंo, o, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ Central Public Information Officer भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड/Bharat Heavy Electricals Limited 	
1.	मैं भारतीय नागरिक हूं । देखे जाने वाले रिकॉर्ड का विवरण: I am citizen of India. Particulars of Records to be inspected:	
2.	मेरी जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त वांछित सूचना अधिनियम की धारा 8 एवं 9, जिन्हें प्रकट नहीं किया जाना है, से संबद्ध नहीं है। To best of my knowledge, the above desired information does not relate to section 8& 9 of the Act, which are exempted from disclosure.	
3.	क्या मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है ? [है / नहीं है] (कृपया किसी एक को टिक करें) Whether the Information sought concerns the life and liberty of a person? [Yes/No] (Please tick any one)	
4. 4.1 4.2	अदा किए गए शुल्क का विवरण /Details of the fee paid: माध्यम: नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक Mode: Cash/DD/Bankers cheque संदर्भ: डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या तिथि	
4.3 4.4	रसीद की सं./ दिनांक/ Receipt No राशि, रु./ Amount, Rs	
	(आवेदक के हस्ताक्षर) (Signature of applicant) नाम/Name: पता/Address:	
	 ई-मेल/E-mail:	

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED प्रपत्र-ग (Form-C)

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण से अपील (Appeal to First Appellate authority in BHEL) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत (under Section 19 of the Right to Information Act, 2005)

ਰਿथि / Date : सेवा मे / To प्रथम अपीलीय प्राधिकरण First Appellate authority पता / Address आवेदन प्रस्तृत करने की तिथि (प्रति संलग्न) (Date of submission of the request (copy 1. attached): पंजीकरण संख्या, यदि आवेदक के पास उपलब्ध है (Registration number, if available with applicant): केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से प्राप्त उत्तर की तिथि, यदि कोई है: 3. (Date of reply, if any, received from Central Public information Officer) नाम/ Name: केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का विवरण (Particular of Central Public information Officer) पता / Address अपील से संबद्ध संछिप्त तथ्य (कृपया किसी एक को टिक करें) (Brief facts leading to appeal) (please tick any one) क) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ / a) No response received ख) उत्तर से असंत्ष्ट / b) Aggrieved by the response ऊपर दिए गए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को आवेदन जमा करने की तारीख से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद अपील दायर करने के कारण (Reasons for appeal being filed after prescribed period of 30 days from date of submission of applicant to the above Central Public information Officer)

मांगी गई राहत

7.

8.	(The relief sought) उन दस्तावेजों की प्रतियाँ, जिनके आधार पर उ	भावेदक ने अपील की:
9.	(Copies of documents relied upon by the ap आवेदक का विवरण	plicant) : हस्ताक्षर :
	Particulars of the applicant	Signature:
		नाम :
* .		Name:
		पता :
		Address: